प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.03.2026

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र निवासी सलीम वास्तिक (यूट्यूबर) पर जानलेवा हमला करने की घटना में वाँछित / 01 लाख रुपये का पुरूस्कार घोषित दुर्दान्त / कुख्यात अपराधी गुलफाम पुत्र बुनियाद अली पुलिस मुठभेड़ मे ढेर।

- दिनांक: 26/02/2026 की सुबह करीब 08.00 Nबजे सलीम वास्तिक पुत्र नूर हसन निवासी अली गार्डन निठौरा रोड़ थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद (यूट्यूबर) को उनके कार्यालय पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियारों से प्रहार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया गया था, जिनको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया था जो वर्तमान में भी अस्पताल में उपचाराधीन है। उक्त सनसनीखेज घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी पर मुकदमा अपराध संख्या- 50/2026 धारा- 109(1)/ 333/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

- घटना में सीसीटीवी कैमरों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त जीशान पुत्र बुनियाद अली तथा गुलफाम पुत्र बुनियाद अली निवासीगण कस्बा सैदनगली थाना सैदनगली जनपद अमरोहा हाल पता- अली हसन के मकान में किरायेदार मंगल बाजार, मदर इंडिया स्कूल के पीछे खोडा थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये थे।

- प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अभियुक्तगण पर 01-01 लाख रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया है।

- थाना लोनी क्षेत्र में दिनांक: 01/03/2026 को स्वाट टीम, ग्रामीण जोन गाजियाबाद व थाना लोनी पुलिस टीम के साथ निठोरा रोड रेलवे अण्डर पास के पास घेराबन्दी के दौरान मुठभेड में अभियुक्त जीशान उपरोक्त गोली लगने से घायल हो गया था जिसकी दौराने उपचार अस्पताल मे मृत्यु हो गयी है।

घटनाक्रम (03/03/2026) : आज दिनांक: 03/03/2026 को प्रभारी स्वाट टीम, अपराध शाखा गाजियाबाद को जरिये मुखबिर खास अभियुक्त गुलफाम मय उसके साथी के थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराते हुए स्वाट टीम द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध के नेतृत्व मे वसुन्धरा बिजलीघर के सामने घेराबन्दी की गई। समय करीब 21.20 बजे वसुन्धरा की ओर से एक बाइक आती दिखाई दी जिस पर दो व्यक्ति सवार थे, जिनको रोकने का प्रयास करने पर बाइक सवार व्यक्तियो द्वारा रुकने की बजाय तेज रफ्तार में दायीं ओर मुड गये तथा एलिवेटिड के नीचे भागने लगे जिनका पीछा स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा किया गया। थोडा आगे जाकर बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण मिट्टी के टीले की वजह से बाइक फिसल गयी जिससे उक्त बदमाश बाइक सहित गिर गये। इसके उपरान्त बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किये गये बदमाशों की फायरिंग मे 02 पुलिसकर्मी है0का0 301 पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला व है0का0 2234 संदीप कुमार बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गये तथा 01-01 फायर श्री अमित सक्सैना सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) एंव उ0नि0 श्री पूरण सिंह व उ0नि0 बोबी सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट मे लगा तथा बदमाशों द्वारा किये गये एक फायर प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक श्री अनिल कुमार के कान के पास से गया जिससे वो बाल-बाल बच गये। अन्य कोई विकल्प न बचने पर पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। तथा दूसरा बदमाश भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर भाग गया,

घायल बदमाश तथा घायल पुलिस कर्मियों को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों द्वारा घायल बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया। बदमाश की शिनाख्त गुलफाम पुत्र बुनियाद अली निवासी कस्बा सैदनगली थाना सैदनगली जनपद अमरोहा हाल पता अली हसन के मकान में किरायेदार, मंगल बाजार, मदर इंडिया स्कूल के पीछे खोडा थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद के रुप में हुई है।

अभियुक्त का नाम एवं पता-

गुलफाम पुत्र बुनियाद अली निवासी कस्बा सैदनगली थाना सैदनगली जनपद अमरोहा हाल पता अली हसन के मकान में किरायेदार, मंगल बाजार, मदर इंडिया स्कूल के पीछे खोडा थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद

मुठभेड़ के दौरान बरामदगी

1.एक पिस्टल .32 बोर

2.जिंदा कारतूस .32 बोर 02 अदद

3.खोखा कारतूस .32 बोर 10 अदद

5. एक अदद तमंचा .315 बोर

6. जिंदा कारतूस .315 बोर 02 अदद

7. खोखा कारतूस .315 बोर 01 अदद

8.बाइक के0टी0एम0 रंग काला नारंगी बिना नम्बर प्लेट (दिल्ली से चोरी)

9.चाकू – 01 अदद

10. एक मोबाइल फोन सैमसंग रंग नीला

11. मृतक का आधारकार्ड, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस

12. एक पिट्ठू बैग जिसमें कुर्ता पजामा, स्वैटर, एक गोल टोपी,एक जैकेट, बेंडेड, चार्जर

मुठभेड़ मे शामिल पुलिस टीम

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

उक्त मुठभेड़ के संबंध मे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना इन्दिरापुरम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा संपादित की जा रही है।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03.03.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि वादिया के पिता घनश्याम द्वारा वादिया की माँ मीनू के साथ झगड़ा होने पर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर देना तथा बीच बचाव करने आयी वादिया की बहन हिमांशी को चाकू मारकर गम्भीर रुप से घायल कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात् विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्यवाही में

घटनास्थल से आलाकत्ल खून से सने चाकू को बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोतरी की गयी।

आज दिनांक 04.03.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त घनश्याम पुत्र स्व0 गोवर्धन दास नि0 एमएम 32 एफएफ 1 डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, मूल पता ए 28 मजनू का टीला थाना सिविल लाईन्स दिल्ली 54 को लालबाग कीकड़ो थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी पत्नी मीनू बाहर नौकरी करती थी जो मुझे पसन्द नहीं था, नौकरी के बहाने वह अधिकतर घर से बाहर ही रहती थी जिस कारण मुझे उस पर शक था, मेरे द्वारा उससे पहले भी कई बार नौकरी करने से मना किया था लेकिन वह मेरी बात नही सुनती थी। कल दिन में जब वह घर पर थी तो मेरे द्वारा उससे नौकरी छोड़ने के लिये कहा तो गया वह मेरे साथ बहस करने लगी तथा उल्टा सीधा बोलकर मुझसे लड़ने लगी, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया तथा आवेश में आकर मैने घर पर रखे चाकू से उस पर वार कर उसकी हत्या कर दी तथा घर पर मौजूद मेरी पुत्री हिमांशी को भी बीच बचाव के दौरान मुझसे चाकू लगा गया, जिससे वह घायल हो गयी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

घनश्याम पुत्र स्व0 गोवर्धन दास नि0 एमएम 32 एफएफ 1 डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, मूल पता ए 28 मजनू का टीला थाना सिविल लाईन्स दिल्ली 54 उम्र करीब 56 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व अभियुक्तों की निशानदेही से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 04.03.2026 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. सन्नी उर्फ तमंचा पुत्र चंद्र पाल निवासी गली सं0 02 गगन विहार भोपुरा ठेके के पीछे थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष व 2. फुरकान पठान पुत्र रिजवान खान निवासी म0सं0 136 गली सं0 03 कर्दम पुरी शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को सिकन्दरपुर कट व डिफेन्स कॉलोनी झाड़िया के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्तों की निशानदेही डिफेंस कट की झाड़ियों से चोरी की 02 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी उर्फ तमंचा व फुरकान पठान उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी उर्फ तमंचा व फुरकान पठान उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्त पैसे कमाने के लिए मिलकर वाहन चोरी करते है और बेच देते है। इसी क्रम में यह बरामद मोटर साइकिल दोनों अभियुक्तों ने करीब 01 माह पहले पडपडगंज दिल्ली से चोरी की थी तथा निशानदेही से बरामद एक मोटर साइकिल को दोनों अभियुक्तों ने करीब 02 महीने पहले थाना नंदग्राम क्षेत्र से चोरी किया था व तीसरी मोटर साइकिल को अभियुक्त फुरकान ने करीब 04 माह पहले पसौंडा से चोरी किया था। दोनों अभियुक्त आज चोरी की हुई मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. सन्नी उर्फ तमंचा पुत्र चंद्र पाल निवासी गली सं0 02 गगन विहार भोपुरा ठेके के पीछे थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. फुरकान पठान पुत्र रिजवान खान निवासी म0सं0 136 गली सं0 03 कर्दम पुरी शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी उर्फ तमंचा उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त फुरकान उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः–

चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्तों की निशानदेही से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।